



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062021-227613
CG-DL-E-15062021-227613

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2148]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ ज्येष्ठ 24, 1943

No. 2148]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISTHA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

का.आ. 2312(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के जिला बोंगाईगांव में जोगीघोषा में ब्रह्मपुत्र नदी पर नए 2-लेन पुल का निर्माण जो मौजूदा रेल सह सड़क पुल (नारायण सेतु) के समानांतर 250 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम है (नॉर्थ बैंक में 0+000 किमी से साउथ बैंक में 4+385 किमी) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 (किमी. 0+000 से किमी. 0+150 बोंगाईगांव जिले में और किमी. 0+150 से किमी. 4+385 गोलपारा जिले में), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त उपायुक्त (राजस्व) बोंगाईगांव को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्,

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य के जिला बोंगाईगांव में जोगीघोषा में ब्रह्मपुत्र नदी पर नए 2-लेन पुल का निर्माण जो मौजूदा रेल सह सड़क पुल (नारायण सेतु) के समानांतर 250 मीटर की दूरी पर डाउनस्ट्रीम है (नॉर्थ बैंक में 0+000 किमी. से साउथ बैंक में 4+385 किमी.) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: बोंगाईगांव			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बोईटमारी					
गांव का नाम: भाटीपारा एन सि					
1	102	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0298990(हेक्टेयर)	0.0298990
2	103	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.4799660(हेक्टेयर)	0.4799660
3	104	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.8858330(हेक्टेयर)	0.8858330
4	105	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.2813090(हेक्टेयर)	0.2813090
5	106	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.4711970(हेक्टेयर)	0.4711970
6	111	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0780150(हेक्टेयर)	0.0780150
7	112	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0599000(हेक्टेयर)	0.0599000
8	113	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0583000(हेक्टेयर)	0.0583000
9	114	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0678350(हेक्टेयर)	0.0678350
10	115	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0565870(हेक्टेयर)	0.0565870
11	116	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0680420(हेक्टेयर)	0.0680420
12	117	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0746160(हेक्टेयर)	0.0746160
13	118	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0780580(हेक्टेयर)	0.0780580
14	123	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0598130(हेक्टेयर)	0.0598130
15	124	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0268890(हेक्टेयर)	0.0268890
16	125	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.1904650(हेक्टेयर)	0.1904650

17	126	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0137670(हेक्टेयर)	0.0137670
18	127	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.1066980(हेक्टेयर)	0.1066980
19	131	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0726990(हेक्टेयर)	0.0726990
20	132	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0776550(हेक्टेयर)	0.0776550
21	133	सरकारी	लाहिताली (कृषि)	0.0179620(हेक्टेयर)	0.0179620
22	241 (Patta No. 8)	निजी	सलिटाली (कृषि)	0.1664670(हेक्टेयर)	0.1664670
23	75	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0183710(हेक्टेयर)	0.0183710
24	79	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.1460580(हेक्टेयर)	0.1460580
25	80	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0671270(हेक्टेयर)	0.0671270
26	81	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0655120(हेक्टेयर)	0.0655120
27	82	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0189250(हेक्टेयर)	0.0189250
28	91	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.1149650(हेक्टेयर)	0.1149650
29	92	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.5983460(हेक्टेयर)	0.5983460
30	94	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.0334480(हेक्टेयर)	0.0334480
31	95	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.3728800(हेक्टेयर)	0.3728800
32	96	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.3768530(हेक्टेयर)	0.3768530
33	97	सरकारी	सलिटाली (कृषि)	0.6753020(हेक्टेयर)	0.6753020
कुल				5.9098	5.9098

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Dhubri/JogighopaBridge/LA/2021/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2021

S.O. 2312(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of New 2-lane bridge across river Brahmaputra in Jogighopa i.e., downstream at a distance of 250m parallel to existing Rail cum Road Bridge (Naranarayan Setu) (Km. 0+000 to Km. 0+150 at Bongaigaon District and Km. 0+150 to Km. 4+385 on National Highway-17 at Goalpara District) for building (New 2-lane) in District Bongaigaon in the State of Assam, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of said land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Additional Deputy Commissioner (Revenue) Bongaigaon in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of New 2-lane bridge across river Brahmaputra in Jogighopa i.e., downstream at a distance of 250m parallel to existing Rail cum Road Bridge (Naranarayan Setu) (Km. 0+000 at North Bank to Km. 4+385 at South Bank) National Highway-17 in District Bongaigaon in the State of Assam.

State: ASSAM		District: BONGAIGAON			
Sl. No	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Boitamari					
Village: Bhatipara N.C.					
1	102	Government	Salitali (Agriculture)	0.0298990(Hectare)	0.0298990
2	103	Government	Salitali (Agriculture)	0.4799660(Hectare)	0.4799660
3	104	Government	Salitali (Agriculture)	0.8858330(Hectare)	0.8858330
4	105	Government	Salitali (Agriculture)	0.2813090(Hectare)	0.2813090
5	106	Government	Salitali (Agriculture)	0.4711970(Hectare)	0.4711970
6	111	Government	Salitali (Agriculture)	0.0780150(Hectare)	0.0780150
7	112	Government	Salitali (Agriculture)	0.0599000(Hectare)	0.0599000
8	113	Government	Salitali (Agriculture)	0.0583000(Hectare)	0.0583000
9	114	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0678350(Hectare)	0.0678350
10	115	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0565870(Hectare)	0.0565870
11	116	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0680420(Hectare)	0.0680420
12	117	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0746160(Hectare)	0.0746160
13	118	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0780580(Hectare)	0.0780580
14	123	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0598130(Hectare)	0.0598130
15	124	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0268890(Hectare)	0.0268890
16	125	Government	Lahitali (Agriculture)	0.1904650(Hectare)	0.1904650
17	126	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0137670(Hectare)	0.0137670
18	127	Government	Lahitali (Agriculture)	0.1066980(Hectare)	0.1066980
19	131	Government	Salitali (Agriculture)	0.0726990(Hectare)	0.0726990
20	132	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0776550(Hectare)	0.0776550
21	133	Government	Lahitali (Agriculture)	0.0179620(Hectare)	0.0179620
22	241 (Patta No. 8)	Private	Salitali (Agriculture)	0.1664670(Hectare)	0.1664670
23	75	Government	Salitali (Agriculture)	0.0183710(Hectare)	0.0183710
24	79	Government	Salitali (Agriculture)	0.1460580(Hectare)	0.1460580

25	80	Government	Salitali (Agriculture)	0.0671270(Hectare)	0.0671270
26	81	Government	Salitali (Agriculture)	0.0655120(Hectare)	0.0655120
27	82	Government	Salitali (Agriculture)	0.0189250(Hectare)	0.0189250
28	91	Government	Salitali (Agriculture)	0.1149650(Hectare)	0.1149650
29	92	Government	Salitali (Agriculture)	0.5983460(Hectare)	0.5983460
30	94	Government	Salitali (Agriculture)	0.0334480(Hectare)	0.0334480
31	95	Government	Salitali (Agriculture)	0.3728800(Hectare)	0.3728800
32	96	Government	Salitali (Agriculture)	0.3768530(Hectare)	0.3768530
33	97	Government	Salitali (Agriculture)	0.6753020(Hectare)	0.6753020
Total				5.9098	5.9098

[F.No. NHIDCL/PMU-Dhubri/JogighopaBridge/LA/2021/3A1]

RAJESH GUPTA, Director